**राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकें**

3232. **श्री अजित जोगी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें किन-किन तारीखों को आयोजित की गयी थीं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये ; और

(ख) इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग)** : (क) वर्ष 1995 के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास**

3233. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को और अधिक धनराशि आबंटित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) पिछली पंचवर्षीय योजना में आबंटित धनराशि की तुलना में इस योजना में आबंटित की गयी धनराशि कितनी कम है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग)** : (क) लघु उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अधिक धन-राशि के, आबंटन के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों के विकास हेतु आठवीं योजना परिव्यय 261.28 करोड़ रुपये हैं जो सातवीं योजना के 171.59 करोड़ रुपये के परिव्यय से अधिक हैं ।

**ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता**

3234. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस राशि के वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग)** : (क) से (ग) सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन राज्य की किसी सम्पूर्ण योजना के लिए किया जाता है और यह उसके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से अलग से नहीं जुड़ा है ।

सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार किया जाता है, जिसे दिसम्बर 1991 में संशोधित किया गया था । इस फार्मूले के तहत राज्यों को कुल मान्य केन्द्रीय सहायता का 30% भाग 10 विशेष श्रेणी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखा जाता है । ये 10 राज्य हैं—अरुणाचलम प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर,

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। शेष 70% धनराशि फार्मूले के तहत निर्धारित मानदण्ड के अनुसार, जैसा कि संलग्न विवरण –1 में दर्शाया गया है, 15 गैर विशेष श्रेणी राज्यों को आबंटित की जाती है। (**नीचे देखिए**)

वर्ष 1994–95 के लिए सकल सामान्य केन्द्रीय सहायता के कुल राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण–1 में दिए गए है। (**नीचे देखिए**) इन आबंटनों में कोई शहरी ग्रामीण खुला सा नहीं है ।

**विवरण-1**

**राज्यों की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के तहत मानदंड और भार**

| मानदण्ड | भार (प्रतिशत) |
|---|---|
| **(क) विशेष श्रेणी राज्य (*10)** | 30.0 |
| **(ख) गैर विशेष श्रेणी राज्य (**15)** | 70.0 |
| जिनकी | |
| 1. जनसंख्या (1971) . . . . . | 60.0 |
| **2. प्रति व्यक्ति आय (क+ख)** . . . . . | 25.0 |
| (क) राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य . | 20.0 |
| (ख) सभी राज्य . . . . . | 5.0 |
| **3. निष्पादन (क+ख+ग)** . . . . . | 7.5 |
| (क) कर प्रयास. . . . . | 2.5 |
| (ख) वित्तीय प्रबंधन . . . . . | 2.0 |
| **(ग) राष्ट्रीय उद्देश्य (1 से 4)** . . . . | 3.0 |
| (1) जनसंख्या नियंत्रण . . . . | 1.0 |
| (2) महिला निरक्षरता उन्मूलन . . . | 1.0 |
| (3) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना. | 0.5 |
| (4) भूमि सुधारों में सफलता . . . . | 0.5 |
| **4. विशेष समस्याएं** . . . . . | 7.5 |
| जोड़ (1 से 4) . . . . . | 100.0 |
| ग. जोड़ (क+ख) . . . . . | 100.0 |

*इस समय 90 प्रतिशत अनुदान और 100 प्रतिशत ऋण पद्धति ।

**इस समय 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण ।

विवरण-2

सामान्य केन्द्रीय सहायता, 1994–95 का सफल आवंटन*

| | राज्य | करोड़ रुपये |
|---|---|---|
| **(क) विशेष श्रेणी** | | |
| 1. | अरूणाचल प्रदेश | 306.87 |
| 2. | असम | 898.67 |
| 3. | हिमाचल | 386.37 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 839.83 |
| 5. | मणिपुर | 248.37 |
| 6. | मेघालय | 236.85 |
| 7. | मिजोरम | 216.68 |
| 8. | नागालैण्ड | 252.90 |
| 9. | सिक्किम | 134.96 |
| 10. | त्रिपुरा | 251.01 |
| | उप-जोड़ (क) : | 3772.60 |
| **(ख) गैर विशेष श्रेणी** | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 747.50 |
| 2. | बिहार | 957.31 |
| 3. | गोवा | 50.34 |
| 4. | गुजरात | 281.55 |
| 5. | हरियाणा | 198.71 |
| 6. | कर्नाटक | 308.15 |
| 7. | केरल | 384.88 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 567.03 |
| 9. | महाराष्ट्र | 460.24 |
| 10. | उड़ीसा | 379.90 |
| 11. | पंजाब | 169.26 |
| 12. | राजस्थान | 438.51 |
| 13. | तमिलनाडु | 654.14 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 1293.80 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 524.64 |
| | उप-जोड़ (ख) : | 7415.96 |
| | कुल जोड़ (क+ख) : | 11188.56 |

*विशेष समस्याओं के अधीन सहित ।